

राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक:—प. 23(01)(03)/टी.एफ.सी./डी.ई.एस/2012/44828

जयपुर, दिनांक:— 29/01/2016

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय बीकानेर/हनुमानगढ़।

विषय:— 13वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जिला बिजनेस रजिस्टर एवं स्थानीय निकायों के आय-व्ययक लेखों हेतु बजट आवंटन।

राज्य में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान की अवाई अवधि 31.03.2015 के अन्त में अवशेष राशि में से कुल 648.02 लाख रूपए को व्यय करने के लिए इस विभाग के पत्रांक प.23(1)/टी.एफ.सी./डी.ई.एस/2012/1/33105/2015 दिनांक 10-06-2015 एवं 41916/2015 दिनांक 01-12-2015 के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की निरन्तरता में निम्नांकित जिलों में जिला बिजनेस रजिस्टर एवं स्थानीय निकायों के आय-व्ययक लेख तैयार करने के लिए बकाया मानदेय राशि के भुगतान हेतु उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि लाख रूपए के बजट का आवंटन किया जा रहा है:—

(राशि लाख रूपए में)


S. No.	Name of District	Business Register	Local Body Accounts	Grant Total
		42- प्रोत्साहन एवं मानदेय	42- प्रोत्साहन एवं मानदेय	42- प्रोत्साहन एवं मानदेय
1	2	3	4	5
1	DES HQ.	0.00	2.00	2.00
2	Hanumangarh	0.08	0.68	0.76
3	Bikaner	4.44	0.75	5.19
	Total	4.52	3.43	7.95

इस राशि का लेखा शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, (03)-तेरहवें वित्त आयोग की शिफारिशों के तहत सांख्यिकी प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु (टी.एफ.सी.)(आयोजना भिन्न) रहेगा।

आवंटित राशि का उपयोग वित्त आयोग की अवधि 31.03.2015 तक के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु (विगत वर्षों से जिन माईलस्टोन्स पर कार्य चल रहा है) चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जावे। इस आवंटित राशि का उपयोग जिला बिजनेस रजिस्टर एवं स्थानीय निकायों के आय-व्ययक लेख तैयार करने के लिए बकाया मानदेय राशि के भुगतान पर किया जावे। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का तकनीकी मार्गदर्शन अपेक्षित होने पर सम्बन्धित गतिविधि प्रभारी संयुक्त/उप निदेशक से सम्पर्क किया जा सकता है।

1. राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम-नियामक एवं स्थापित प्रक्रिया तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
2. आवंटित राशि के गतिविधिवार/लेखा शीर्षवार लेख एवं बजट नियंत्रण पंजिका संधारित की जावे। प्रतिगाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र में बजट मदवार संयुक्त निदेशक, परियोजना एवं लेखा शाखा को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

3. इस राशि के उपयोग में विभागीय स्तर से समय-समय पर प्रसारित दिशा-निर्देशों के साथ-साथ समसंख्यक पत्रांक 1532-64 दिनांक 09.01.2015, 10224-56 दिनांक 04.03.2014 एवं क्रमांक:-प. 23(05)/टी.एफ.सी./डीईएस/बी.आर./2011/7027-59 दिनांक 21.02.2013 के द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों एवं मानदण्डों की अनुपालना भी की जावे।
4. शेष दिशा-निर्देश विभाग के समसंख्यक पत्रांक 42404/2015 दिनांक 10.12.2015 के अनुरूप रहेंगे।




(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-प. 23(01)(03)/टी.एफ.सी./डीईएस/2012/I/44828

जयपुर, दिनांक:-29/01/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), प्रधान महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक राज्य आय/एन.एस.एस., मुख्यालय, जयपुर।
4. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (बजट/भुगतान), मुख्यालय।
5. प्रोग्रामर, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इसे वेब साईट पर अपलोड करें।
6. निजी सचिव, निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



(राजेन्द्र प्रसाद चूलेट)
सांख्यिकी अधिकारी (प्रोजेक्ट),
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर।